2022/269

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– हीरालाल पुत्र सुखाराम जाति माली निवासी मैदासर बास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– मदनलाल पुत्र शिम्भुलाल जाति माली निवासी मैदासर बास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 100 सन्–.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
06.05.2022	प्रार्थी हीरालाल पुत्र सुखाराम जाति माली निवासी मैदासर बास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मदनलाल पुत्र शिम्भुलाल जाति माली निवासी मैदासर बास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद डीडवाना के खसरा संख्या 3630/2196 में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 28.06.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
20/6/22	वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आज पेश। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुई। वकील प्रार्थी ने बताया कि [illegible] चाहते हैं ले चुका है तथा प्रार्थना-पत्र [illegible] हैं। प्रार्थना-पत्र जरिये विड्रो खारिज [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] चलाना चाहते हैं किया गया। पक्षकारान प्रार्थना पत्र नहीं [illegible] खारिज की जाती है। अतः प्रार्थना-पत्र जरिये विड्रो खारिज [illegible] दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	हीरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner